तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
09.03.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण संख्या 01,02 एवं 04 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. सुमेरपुर की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 (ख) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर राज्य सरकार के प्रतिनिधि विकास अधिकारी प.स.सुमेरपुर द्वारा वित्तिय खर्चा की बचत व अनावश्यक कार्यवाही से बचने हेतु निगरानी संयुक्त पेश की गई थी, लेकिन अप्रार्थीगण की आपत्ति के पश्चात् प्रार्थी अलग–अलग निगरानी पेश करने हेतु विचाराधीन निगरानी को विड्रो करने की अनुमति प्रदान करने एवं अलग निगरानियों को पेश करने हेतु अनुमति चाही जाने का निवेदन किया है। हमने उपस्थित अधिवक्तागण को सुना तथा प्रार्थी विकास अधिकारी प.स.सुमेरपुर के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 (ख) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. द्वारा विचाराधीन निगरानी को विड्रोवल किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये विड्रोवल के आधार पर विचाराधीन निगरानी याचिका को निरस्त की जाकर प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. सुमेरपुर द्वारा अलग निगरानी पेश किये जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए विचाराधीन पत्रावली को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner